


# केन्द्रीय विद्यालय भदोही

सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश सूचना

दिनांक 01-04-2024


क्र	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियाँ
1	कक्षा-1के लिए पंजीकरण-आन लाईन माध्यम से <a href="https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in">https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in</a>	पंजीकरण 01-04-2024, प्रातः 10.00 बजे से 15-04-2024 सायं 5.00 बजे तक सूची जारी करना 20-04-2024
2	अन्य कक्षाओं हेतु	अन्य कक्षाओं में कोई रिक्तियां नहीं हैं।

नोट-पंजीकरण मात्र प्रवेश की गारंटी नहीं होगा, अपूर्ण फार्म निरस्त माने जाएंगे। साक्ष्यों की जाँच के उपरांत, नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा। विस्तृत जानकारी हेतु के वि सं की वैबसाईट [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in) देखें।

  
01.04.2024  
प्राचार्य

सूचनार्थ -

- 1.अध्यक्ष, वि प्र स./जिलाधिकारी महोदय भदोही।
- 2.जिलाधिकारी के ओ एस डी।
- 3.जन संपर्क अधिकारी भदोही, अधीनस्त समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
- 4.विद्यालय सूचना पट।
- 5.विद्यालय सी सी ए प्रभारी।
- 6.श्री मनीष कुमार, स्कूल की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
01.04.2024  
प्राचार्य

### ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान सावधानियां

पोर्टल पर दिए गए विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़ें, आप जिस कटेगरी/संवर्ग में आते हैं कृपया फॉर्म उसी कटेगरी/संवर्ग में भरें, गलत फॉर्म भरने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जायेगी, विद्यालय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

कुछ मुख्य सावधानियां इस प्रकार हैं-


यदि RTE हेतु फॉर्म भर रहे हैं तो- उम्मीदवार का "SC/ST, OBC (Non creamy layer)/ EWS/BPL" में होना आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र पूर्व में ही तैयार रखें, साथ ही साथ वर्तमान में निवास 8 किमी के अन्दर होना चाहिए(मात्र किरायानामा मान्य नहीं)सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही साथ Cat-I- केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी, Cat-II- केंद्र सरकार के स्वायत्तशासी संगठन के नियमित कर्मचारी, Cat-III- सम्बंधित राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी एवं Cat-IV- सम्बंधित राज्य सरकार के स्वायत्तशासी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं तभी इसका उल्लेख करें(संविदा/अंश कालिक शामिल नहीं), केंद्र/राज्य शासन के नियमित कर्मचारी न होने पर "Cat V" भरें अन्यथा सूची में नाम आने पर भी लाभ से वंचित होना होगा।

यदि SC/ST/OBC(NCL) हेतु फॉर्म भर रहे हैं तो- उम्मीदवार का "SC/ST, OBC (Non Creamy Layer) के साथ Cat-I- केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी, Cat-II- केंद्र सरकार के स्वायत्तशासी संगठन के नियमित कर्मचारी, Cat-III- सम्बंधित राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी एवं Cat-IV- सम्बंधित राज्य सरकार के स्वायत्तशासी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं तभी इसका उल्लेख करें(संविदा/अंश कालिक शामिल नहीं), केंद्र/राज्य शासन के नियमित कर्मचारी न होने पर "Cat V" भरें अन्यथा सूची में नाम आने पर भी लाभ से वंचित होना होगा।

यदि आप Cat-I/II/III/IV हेतु फॉर्म भर रहे हैं तो-"Cat-I- केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी, Cat-II- केंद्र सरकार के स्वायत्तशासी संगठन के नियमित कर्मचारी, Cat-III- सम्बंधित राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी एवं Cat-IV- सम्बंधित राज्य सरकार के स्वायत्तशासी संगठन के नियमित कर्मचारी होना आवश्यक है, (संविदा/अंश कालिक शामिल नहीं), साथ ही यदि SC/ST/OBC(NCL) से संबन्धित हैं तो उसका उल्लेख करें अन्यथा सूची में नाम आने पर भी लाभ से वंचित होना होगा।

इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेवा, किसान, व्यवसायी, कटेगरी V के अभ्यर्थी माने जाते हैं। इस संवर्ग में होने पर कृपया, "Cat-I/II/III/IV" में फॉर्म न भरें अन्यथा सूची में नाम आने पर भी लाभ से वंचित होना होगा।

अन्य शर्तें नियमानुसार लागू होंगी अतः फॉर्म भरने से पूर्व नियमावली देखना सुनिश्चित करें।

  
01.04.2024